पत्र संख्या 1316 /

कार्यालयः–वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर।

प्रेषक ,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

सीनियर मैनेजर,
ट्रांसमिशन डिविजन, डालटनगंज।

मेदिनीनगर, दिनांक 20/5/22 /

विषयः– 132 KV D/C छतरपुर–जपला ट्रांसमिशन लाईन हेतु 23.2676 हे0 गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी/वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 60/TD दिनांक 19.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपने 132 KV D/C छतरपुर–जपला ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के लिए 23.2676 हे0 गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी/वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से प्रस्ताव में निम्नांकित त्रूटियाँ/कमियाँ पाई गई हैः–

1. ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संलग्न नहीं है।
2. उपायुक्त, पलामू द्वारा निर्गत FRA से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।
3. Wild life Management Plan संलग्न नहीं है।
4. गैर–मजरूआ मालिक जंगल–झाड़ी भूमि से संबंधित अनापति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
5. KML File/Shape File का हार्ड कॉपी संलग्न नहीं है।
6. उक्त परियोजना में प्रभावित होने वाली वृक्षों की (कुल संख्या) गणना सूची Abstract के साथ संलग्न नहीं है।

अतः मूल प्रस्ताव इस पत्र के साथ वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों के निराकरण कर त्रुटि रहित प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित करें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु0–प्रस्ताव मूल रूप में।

विश्वासभाजन,

Sd/- 20/05/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

20.05.22

20/05/22